

न्यायालय :-स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दमोह (म.प्र.)

-:: संशोधित दारिद्र्य कार्य वितरण आदेश ::-

जावक क्रमांक स्टेनो-13/2025

दमोह, दिनांक-09.09.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी दारिद्र्य कार्य वितरण आदेश क्रमांक 13/स्टेनो/2025 दिनांक 01.08.2025 के अनुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 47/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 05.05.2025 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील दमोह एवं जबेरा अंतर्गत खान-खनन एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियों के विचारण हेतु श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह के न्यायालय से इस न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

स्नेहा सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन-13/स्टेनो/2025
प्रतिलिपि-16

दमोह, दिनांक 09.09.2025

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दमोह की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह, जिला दमोह।
3. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह, जिला दमोह।
4. श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह।
5. कम्प्यूटर अनुभाग दमोह, जिला दमोह।
6. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह जिला दमोह।

स्नेहा सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.